कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमांकःनपाश्रीमा / 2021—22 / 2961 **दिनांकः 02/12/2021**

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 02.12.2021 को दोपहर 2.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 02 (दो) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :—

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर (हरिनारायण) (अध्यक्ष) अनुपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर (रजत जैन) (सदस्य सचिव) उपस्थित।
3. श्रीमान उप / जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर (मो. अजहर जाटू) (सदस्य) उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर (लोकेश निठारवाल) (सदस्य) उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर (रक्षपाल स्वामी) (विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर (निश्चल बनर्जी) (विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका श्रीमाधोपुर से अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उनके स्वयं के दूरभाष पर वार्ता अनुसार अध्यक्ष महोदय नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वयं की तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई एवं उक्त एम्पावर्ड समिति की मिटिंग में उपस्थित होने में असमर्थता बताई गई। इसके उपरान्त श्रीमान अध्यक्ष महोदय के दिनांक 02. 12.2021 को दोपहर 2.15 बजे तक अनुपस्थित रहने के कारण नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.8 (ग) () नियम / डीएलबी / 2021 / 68664 दिनांक 27.09.2021 के नोट बिन्दू संख्या 03 में दिये आदेशो की पालना में उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर उक्त समिति की अध्यक्षता श्रीमान अधिशाषी अधिकारी के द्वारा करते हुए श्रीमान अधिशाषी अधिकारी की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गय

1. **नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 161, 291 / 1, 291 / 2 कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.00 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर—कृषिक प्रयोजनार्थ "अग्रसेन कॉलोनी" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले—आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार / निर्णय** :— उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 161, 291 / 1, 291 / 2 कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.00 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर—कृषिक प्रयोजनो के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारो और

हित को पर्यवसिन कर राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमो से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप–(12) में सम्बन्धित खातेदारो को नोटिस एवं प्रारूप–(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी की गई एवं प्रारूप–(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर–कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारो को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में/पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक 2255 दिनांक 29.10.2021के द्वारा 90(क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप–(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2506 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रारूप–(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु (90)क सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारो को सूचनार्थ प्रेषित की गई। उपरोक्त 90–(क) सुओमोटो आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2304 दिनांक 11.11.2021 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके. 1600/श्रीमाधोपुर/2021/1217 दिनांक 17.11.2021 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ अग्रसेन कॉलोनी योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबध में तकनिकी राय प्रदान की गई।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा खसरा संख्या 161,291/1, 291/2 कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.00 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "अग्रसेन कॉलोनी" योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. **शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार** :– उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के

लगभग 233 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 60 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

02/12/2021

(रजत जैन)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(मो. अजहर जाट)
उप/जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग सीकर

(रक्षपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

Lokesh Nitharwal

(लोकेश निठारवाल) 02/12/21
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(निश्चल बनर्जी)
लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर